



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124604

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस के तहत संख्या - 5043 वर्ष
2026**

मनोज सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : अर्पित श्रीवास्तव, शिवेंद्र कुमार

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य की ओर से ए.जी.ए. श्री अमृत राज की दलीलें सुनीं और अभिलेख देखा।
2. यह प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 34/2025 एफआईआर दिनांक 23.11.2025 में धारा 319(2), 318(2), 3(5), 338, 308(6) बी.एन.एस., 2023 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 की धारा 66C और 66D के तहत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन फतेहपुर, जिला-फतेहपुर में दर्ज मामले में लंबित रहने के दौरान अग्रिम जमानत के लिए दी गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस केस में झूठा फँसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। यह भी कहा गया कि जो सह-आरोपी मौके पर गिरफ्तार हुए थे, उन्हें इस न्यायालय से रेगुलर जमानत मिल चुकी है। दूसरे सह-आरोपियों के नाम विवेचना के दौरान गिरफ्तार आरोपियों के कबूलनामे के आधार पर जोड़े गए थे। एक आरोपी, जिसे सिर्फ तीन गिरफ्तार सह-आरोपियों के कबूलनामे के आधार पर फँसाया गया था, उसे इस माननीय न्यायालय ने आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 5322/2026 दीपक अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सिंह बनाम यू.पी. राज्य और अन्य में अग्रिम ज़मानत दे दी है। कहा गया है कि आवेदक को डर है कि पुलिस उसे कभी भी इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है, जबकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विवेचना/परीक्षण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, ए.जी.ए. श्री अमृत राज ने कहा कि आवेदक के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत प्रक्रिया शुरू की गई है। इसलिए, आवेदक सह-आरोपी दीपक सिंह के साथ समानता का दावा नहीं कर सकता, जिसे इस माननीय न्यायालय ने अग्रिम ज़मानत दी है।

5. दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की दलीलें सुनीं और अभिलेख देखा।

6. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा आवेदक के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि मौके पर गिरफ्तार किए गए तीन लोगों और एक अन्य व्यक्ति दीपक सिंह जिसे गिरफ्तार आरोपियों के कबूलनामे के आधार पर आरोपी बनाया गया था, को इस न्यायालय ने ज़मानत दे दी है। ऊपर की गई चर्चाओं के आधार पर, इस न्यायालय का मानना है कि भले ही मौजूदा आवेदक के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्यवाही शुरू की गई हो, फिर भी आवेदक को अग्रिम ज़मानत देने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

5. अग्रिम ज़मानत से जुड़े विधि के स्थापित सिद्धांतों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसी तरह की स्थिति वाले सह-आरोपियों को पहले ही अग्रिम ज़मानत मिल चुकी है, और मामले से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए - मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना - अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी मंज़ूर की जाती है।

6. आवेदक-मनोज सिंह को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से 15 दिनों के भीतर इस आदेश की एक प्रति के साथ संबंधित विवेचना अधिकारी/न्यायालय के सामने पेश हों, और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि के दो ज़मानतदारों के साथ व्यक्तिगत मुचलका जमा करें।

आवेदक को मुकदमे के समापन तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक मामले में तय तारीख पर संबंधित विवेचना अधिकारी/न्यायालय के सामने पेश होगा और विवेचना/मुकदमे में सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे संबंधित एस.एस.पी./एस.पी. के पास जमा करना होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उचित सख्त कार्रवाई करने या दी गई जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। बॉन्ड स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा।

1 जून, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।